



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या : टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010(VI)

दिनांक : 10 मार्च, 2016

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
समस्त जनपद।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक: 12-02-2016 को समस्त जोनल कोऑर्डिनेटर (जोन कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए) तथा समस्त रेंज कोऑर्डिनेटर (रेंज कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए) की इस मुख्यालय में CAS की प्रगति एवं समस्याओं के सम्बन्ध में आयोजित गोष्ठी में प्रश्नों के निस्तारण निम्नवत हैं :

**प्रश्न 1-** विवेचक का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण अथवा अन्यत्र थाने के विवेचक द्वारा विवेचना करवाने हेतु वर्तमान समय में उनकी आईडी थाने पर उपलब्ध न होने के कारण फॉर्म भरने में समस्या।

**उत्तर-** उक्त समस्या के समाधान के लिए थानाध्यक्ष की आईडी से जांच -> मामले का पुनः आवंटन में जा कर एफ०आई०आर० को अन्य विवेचक को आवंटित किया जा सकता है। यदि सम्बंधित विवेचक की आईडी थाने पर न उपलब्ध हो अथवा प्रदर्शित न हो रही हो तो जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा आईडी क्रिएट/संशोधित की जा सकती है।

यदि एफ०आई०आर० की विवेचना किसी अन्य थाने के विवेचक से कराने की आवश्यकता है तो भी नोडल अधिकारी द्वारा एक लॉगइन आईडी को एक से ज्यादा थानों की भूमिकाये दी जा सकती है जिससे एक से ज्यादा थानों पर CAS ऑनलाइन तथा CAS ऑफलाइन पर लॉग इन किया जा सकता है। विवेचक अपनी लॉगइन आईडी पर सौंपा कार्य समाप्त कर सकते हैं जिसके उपरांत पुनः नोडल अधिकारी द्वारा विवेचक की भूमिका को हटाया जा सकता है।

**प्रश्न 2-** एफ०आई०आर० स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या है?

**उत्तर-** CAS ऑनलाइन में थानाध्यक्ष की आईडी से लॉग इन कर "प्रथिमिकी का स्थानांतरण" विकल्प पर क्लिक करें। स्थानांतरित की जाने वाली एफ०आई०आर० पर क्लिक कर के नया जिला, नए पुलिस स्टेशन का नाम एवं स्थानांतरण का कारण भर के जमा करें। जिस थाने पर एफ०आई०आर० स्थानांतरित की गई है उस थाने के थानाध्यक्ष की आईडी से CAS ऑनलाइन में लॉग इन कर पंजीकरण -> प्रथिमिकी(IIIF-1) -> 'स्थानांतरित प्रथिमिकी का पुनः पंजीकरण' पर क्लिक करें। चयनित प्रथिमिकी पर प्रकरण अपराध संख्या एवं दिनांक/समय भर कर फॉर्म को जमा करे एवं जमा हुई एफ०आई०आर० देखने हेतु "प्रथिमिकी विवरण खोजे और देखे" पर जाकर नयी प्रकरण अपराध संख्या से सर्च करें।

**प्रश्न 3-** प्रत्येक एफ०आई०आर० की अंतिम रिपोर्ट/चार्ज शीट में प्रपत्र संख्या 1 नं० ही आ रहा है।

**उत्तर-** CAS सॉफ्टवेयर में किसी एफ०आई०आर० के लिए पहली अंतिम रिपोर्ट/चार्ज शीट भरने पर 1 नं० ही आयेगा। उसी एफ०आई०आर० पर दूसरी, तीसरी..... अंतिम रिपोर्ट/चार्ज शीट भरने पर क्रमशः 2,3..... नं० आयेगा।

**प्रश्न 4-** थाने पर हेड मोहरीर द्वारा मुकदमा व गिरफ्तारी एक ही जीडी नं० पर की जाती है जिसके कारण एक ही जीडी नं० होने के कारण गिरफ्तारी प्रपत्र IIIF3 नहीं भरा जा सकता है।

**उत्तर-** प्रत्येक प्रकरण के लिए अलग-अलग जीडी नं० प्रयोग करना अनिवार्य है।

**प्रश्न 5-** किस थाने का कितने प्रतिशत डाटा सिंक हो चुका है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट जानने हेतु सॉफ्टवेयर में कहाँ से जानकारी प्राप्त करें?

**उत्तर-** डाटा सिंक स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए कैस ऑनलाइन में लॉग इन करके रिपोर्ट लिंक पर क्लिक करें। "New FIR Detail" रिपोर्ट में "last synced FIR" फील्ड उपलब्ध है जिससे किस FIR तक डाटा सिंक हो चुका यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**प्रश्न 6-** "कैस सॉफ्टवेयर" में अपराधियों के रिकॉर्ड का थाना स्तर पर विवरण सर्च करने हेतु "सर्चटूल" कैसे देखें जिससे अन्य थानों में उनके विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण तत्काल प्राप्त किया जा सके?

**उत्तर-** अपराधियों के रिकॉर्ड को खोजने के लिए सी० सी० टी० एन० एस० रिपोर्ट का लिंक यू० पी० पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है जिस लिंक पर क्लिक करने पर लॉग इन पेज खुलता है जिसमें थाने के किसी भी आईडी से लॉग इन करके "Accused Search" रिपोर्ट को देखा जा सकता है। उक्त रिपोर्ट में अभियुक्त को नाम के आधार पर भी सर्च किया जा सकता है।

**प्रश्न 7-** मॉडेम से संबंधित समस्या होने पर

**उत्तर-** मॉडेम के सही ढंग से कार्य न करने पर सर्वप्रथम हेल्पडेस्क पर कॉल करके कॉन्फिगरेशन संबंधित सहायता प्राप्त करें। यदि कोई तकनीकी समस्या सामने आती है तो बीएसएनएल में कंप्लेंट लॉज करें। बीएसएनएल द्वारा मॉडेम की किसी भी तकनीकी खराबी को दूर किया जायेगा। यदि मॉडेम कार्य करने की स्थिति में नहीं है तो तकनीकी कमेटी/बीएसएनएल द्वारा उचित रिपोर्ट प्राप्त करें जिसमें उल्लिखित हो कि मॉडेम बदलना आवश्यक है।

सभी रेंज ऑफिस में तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा मॉडेम रिजर्व में उपलब्ध कराए गए हैं उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर रेंज ऑफिस से नया मॉडेम प्राप्त किया जा सकता है। रेंज कोऑर्डिनेटर द्वारा मॉडेम की उपलब्धता/ देयता कि रिपोर्ट तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ को समय समय पर उपलब्ध करायी जाएगी।

**प्रश्न 8-** 500 VA यूपीएस (UNILINE) में खराबी होने पर

**उत्तर-** यूपीएस के सही ढंग से कार्य न करने पर हेल्पडेस्क पर यूपीएस के सीरियल नंबर के साथ कंप्लेंट दर्ज कराएं, तकनीकी खराबी वाले यूपीएस के बदले सही यूपीएस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय से दिए जायेंगे। अन्य उपकरणों से संबंधित विषयों पर हेल्पडेस्क पर उपकरण की डिटेल के साथ ईमेल करें और ईमेल पर रिप्लाई मांगें जिससे वारंटी संबंधित जानकारी लिखित रूप में प्राप्त हो सके।

हेल्पडेस्क/बीएसएनएल से सहायता लेते समय अथवा कंप्लेंट करते समय टोकन नंबर/कंप्लेंट नंबर अवश्य लें।

किसी भी स्पष्टीकरण हेतु सुश्री तरु माथुर, प्रोग्रामर ग्रेड-2 मो. नंबर 8090243971 एवं श्री विवेक कुमार रावत, प्रोग्रामर ग्रेड-2 मो. नंबर 9455039591 पर संपर्क किया जा सकता है।

  
( ब्रजेंद्र भारद्वाज )  
कंप्यूटर अधिकारी,  
तकनीकी सेवाएं, 30प्र०,  
लखनऊ।